

खरीद और विपणन सहायता (पीएमएस) योजना

उद्देश्य:

- इस योजना का उद्देश्य देश भर में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों/एमएसएमई एक्सपो आदि में आयोजन/भागीदारी जैसी नई बाजार पहुंच पहलों को बढ़ावा देना और विपणन में पैकेजिंग के महत्व/तरीकों/प्रक्रिया, नवीनतम पैकेजिंग प्रौद्योगिकी, आयात-निर्यात नीति और प्रक्रिया, जीईएम पोर्टल, एमएसएमई कॉन्क्लेव, अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय व्यापार में नवीनतम विकास और बाजार पहुंच विकास के लिए प्रासंगिक अन्य विषयों/विषयों के बारे में एमएसएमई को जागरूक और शिक्षित करना है।

योजना के घटक:

बाजार पहुंच

- व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में व्यक्तिगत एमएसई की भागीदारी।
- घरेलू/अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों का आयोजन करना तथा विकास आयुक्त (एमएसएमई) मंत्रालय/कार्यालय /सरकारी संगठनों द्वारा व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी करना।
- विक्रेता विकास कार्यक्रम (वीडीपी)।

क्षमता निर्माण

- आधुनिक पैकेजिंग तकनीकों को अपनाना
- बार कोड को अपनाना
- ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को अपनाना
- राष्ट्रीय कार्यशालाएँ / सेमिनार
- मंत्रालय/कार्यालय द्वारा राष्ट्रीय कार्यशालाओं/सेमिनारों का आयोजन
- डीसी (एमएसएमई) (पारंपरिक/वर्चुअल)।

खुदरा आउटलेट का विकास

- संकेत) जीआई उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए खुदरा दुकानों का बुनियादी ढांचा विकास ।

विस्तार में जानकारी:

विस्तृत जानकारी के लिए कृपया पीएमएस योजना दिशानिर्देश देखें।

<http://dcmsme.gov.in/OM%20&%20PMS%20Scheme%20Guidelines.pdf>

योजना निम्नलिखित के लिए लागू है:

- विनिर्माण/सेवा क्षेत्र के एमएसई जिनके पास वैध उद्यम पंजीकरण (यूआर) प्रमाणपत्र हो।

आवेदन कैसे करें:

www.dcmsme.gov.in

https://my.msme.gov.in/MyMsme/Reg/COM_Matu.aspx